

17/2014

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या-16/2014

बाबूलाल पुत्र दूलाराम जाति माली निवासी ग्राम गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला
सीकर-राज0



-बनाम-

-अपीलान्त-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ।

-रेस्पोडेन्ट-

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक

7-3-2003 द्वारा अपर जिला

कलेक्टर सीकर ।

उपस्थिति-

1-श्री रामेश्वरलाल बिजारणिया एडवोकेट-अपीलान्त

2-श्री पोकरमल राजकीय अभिभाषक-रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 22.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24-6-1999 को आवंटन सलाहकार समिति नीमकाथाना प्रार्थी को ग्राम गणेश्वर में भूमि खसरा नं०- 417 रकबा 20.81 हैक्टर में से 1.50 हैक्टर पुराने कब्जे काश्त एवं आवंटन नियमों के तहत आवंटित की गई थी। जिसके विरुद्ध रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने अदालत मातहत को एक प्रार्थना पत्र 14 (4) भू-आवंटन अपर जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्वान अपर जिला कलेक्टर ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में हुये आवंटन दिनांक 24.6.1999 को खारिज कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्त ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किया है। विवादित आराजी को गै0मु0 बेहड मानते हुये वन भूमि होना मानकर आदेश दिया है जो रिकार्ड के विपरित है। अपीलान्त को जब यह आराजी आवंटित की गई थी उस समय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सीकर

आवंटित आराजी की किस्म बंजड सरकार दर्ज थी जो राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभाव में आया उससे पहले ही यह आराजी काबिल काशत रही है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा-16 में जिन भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते उनमें अपीलान्त को आवंटित भूमि नहीं आती है तथा धारा-16 में स्पष्ट है कि किसी सरकारी वन की सीमाओं के भीतर की भूमि ही वन भूमि होगी किन्तु अदालत मातहत ने उक्त कानून की अनदेखी कर अपना निर्णय पारित किया है जो कानून के विपरित है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय का आधार भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रक्रिया की पूर्ण पालना नहीं किया जाना भी माना है जबकि अपीलान्त को उक्त आराजी का आवंटन किया गया उस समय आवंटन की सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आवंटन आदेश पारित किया गया। फिर भी यदि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रक्रिया की पालना नहीं की गई तो भी कानूनन प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति को प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन करने हेतु रिमाण्ड किया जाना चाहिये था। किन्तु अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलान्त को दूसरे गांव का होना मानकर भी आवंटन आदेश को निरस्त किया है जो विधि के विपरित है। विवादित आराजी खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2045 सन 1988 एवं 1989 में खसरा नम्बर-417 बजंड दोयम में अपीलान्त का कब्जा काशत दर्ज है जो वर्तमान तक अपीलान्त का कब्जा काशत दर्ज चला आ रहा है। अपीलान्त के पास इस आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है। अपीलान्त को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 765 के रकबा 1.50 हैक्टर दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर अपीलान्त काबिज काशत है जिसमें अपने परिवार व पशुधन का गुजर बसर कर रहा है। रेस्पोजेन्ट अपीलान्त को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमामदा है। यदि रेस्पोजेन्ट अपीलान्त को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो अपीलान्त बर्बाद हो जायेगा। अत रेस्पोजेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलान्त को उक्त आराजी से बेदखल नहीं किया जावें। आवंटन सलाहकार समिति का तहसीलदार सदस्य था जिसने अपीलान्त को उक्त आराजी आवंटन किये जाने की सिफारिश की है अब अपीलान्त को किये गये उक्त आवंटन को निरस्त कराने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तब हुई जब अपीलान्त को राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 का नोटिस दिनांक 29.9.2014 को मिला जब अपने वकील से सम्पर्क किया जब वकील साहब ने प्रकरण के बारे में पत्रावली को तलाश कर बताने की बात कही तथा 5-7 दिन का नाम लिया। जिस पर अपीलान्त द्वारा पूछे जाने पर वकील साहब ने दिनांक 1-12-2014 को बताया कि आपकी पत्रावली का निर्णय हो चुका। जिस पर निर्णय की नकल दिनांक 2-12-2014 को प्राप्त हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। अत अपील अपीलान्त स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

भू-प्रवस अधिकारी एवं
पदेय राजस्व अपील अधिकारी

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2003 को विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

रेस्पो. की और से सरकारी पैरोकार ने उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि समस्त बताया तथा आंवटन प्रक्रिया की पालना नहीं करने एवं भूमि प्रतिबंधित होने के कारण आंवटन योग्य नहीं होने का तर्क प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

मुताबित नकल जमाबन्दी सं०- 2052-2055 में आराजी ख.नं.- 417 रकबा 20.81 हैक्टर किस्म बंजड़ डोल राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। आंवटन आदेश दिनांक 24-6-1999 में अपीलान्ट ख०नं०-417 में से 1.50 हैक्टर का अपीलान्ट को आंवटन किया गया है जिसमें तहसीलदार के आंवटन सलाहकार समिति के सदस्य की हैसियत से हस्ताक्षर किये गए हैं जिससे जाहिर है कि आंवटन में उनकी सहमति थी। प्राप्त आंवटन से पूर्व तहसीलदार द्वारा ही आंवटन समिति को आंवटन/नियमन की सिफारिश प्रस्तुत की जाती है।

आंवटन आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि आंवटन 24.06.1999 को ग्राम गणेश्वर के क्रम संख्या 3 पर बाबूलाल एवं कं. सं. 6 पर दुलाराम को किया जाना प्रमाणित है। ये आंवटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम से किये गए हैं तथा इसमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इन हस्ताक्षरों में तहसीलदार नीमकाथाना के भी आंवटन समिति के सदस्य की हैसियत से हस्ताक्षर मौजूद हैं। इन आंवटनों में तहसीलदार द्वारा कोई असहमति व्यक्त नहीं है, इससे जाहिर है कि तहसीलदार की आंवटन में पूर्ण सहमति थी। आंवटन के समय भूमि की किस्म बंजड़ डोल रिकार्ड से जाहिर है। आंवटन के पश्चात तहसीलदार द्वारा यह भाग यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश करना कि आंवटन विधि विरुद्ध किया है, अतः आंवटन निरस्त किया जावे पर्याप्त एवं उचित नहीं कहा जा सकता है। तहसीलदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आंवटन विधि विरुद्ध किस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि आंवटन भूमि को गौ.मु. बेहड़ बताया है जो कि वन की भूमि की श्रेणी में आना बताया कि जबकि प्रस्तुत रिकार्ड से भूमि की श्रेणी गे.मु. बेहड़ कब से हुई तथा किस सक्षम आदेश से हुई ऐसा कोई विवेचन नहीं किया गया है। आंवटन के समय बंजड़ डोल थी तथा आंवटन योग्य थी, इसके पश्चात आंवटन अयोग्य या आंवटन हेतु प्रतिबंधित कैसे की गई, तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र में कही भी जाहिर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में नियमों के विपरित आंवटन

भूमि आंवटन अधिकारी एवं
पत्रावली अधिकारी
सीकर

किया जाना बताया है, किन्तु किन नियमों का उल्लघन किया है, इसे स्पष्ट नहीं किया है। यदि उल्लघन आंवटन समिति द्वारा किया गया है, तो इसमें आंवटी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।


इस सम्बंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आर आर डी 1993 पी 800 रामेश्वर बनाम जयसिंह एवं अन्य प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होती है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि पुराना आंवटन टेक्निकल ग्राउन्ड पर खारीज किया जाना उचित नहीं है। टेक्निकल फॉरमाल्टिज की पालना सक्षम अधिकारियों को आंवटन के समय देखनी चाहिए। यदि आंवटी ने कोई फ़ाड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, तो बिना पर्याप्त आधार के आंवटन को रद करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आंवटन सलाहकार समिति ने पूर्ण कोरम के द्वारा आंवटन किया है।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा वरिष्ठ विद्वान अपर जिला कलेक्टर का निर्णय दिनांक 07.03.03 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे सभी पक्षों को साक्ष्य सबूत का अवसर देते हुए विधिसमत निर्णय पुनः पारित करें।

उभय पक्षकारान दिनांक 02.04.2018 को अदालत मातहत में उपस्थित होंगे।

इस निर्णय की प्रति अपील संख्या 17/2014 गोपाल बनाम सरकार में शामिल की जावे। इस अपील का निर्णय भी उक्तानुसार किया जाता है।


(भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर